पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1329/2017

थाना कांड संख्या-169 वर्ष-2015 थाना-मुजफ्फरपुर नगर जिला- मुजफ्फरपुर

==========

प्रकाश कुमार पुत्र स्वर्गीय भरत कुमार गुप्ता, निवासी मोहल्ला- नई बाज़ार यदुपट्टी लेन, थाना-नगर, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
		श्रीमती किरण कुमारी, अधिवक्ता
		मोहम्मद इम्तेयाज अहमद, अधिवक्ता
		श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	कु. शशि बाला वर्मा, ए.पी.पी.

==========

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएँ 302 और 34 – आयुध अधिनियम, 1959 – धारा 27 – मृत्यु – कुल सोलह साक्षियों का परीक्षण हुआ, जिसमें से ग्यारह अभियोजन के तरफ से और पाँच प्रतिवादी के तरफ से – फ़र्दबयान से ऐसा प्रतित होता है कि इत्तिला देने वाला प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और उसे अपने पड़ोसियों से सूचना मिली – घायल (मृतक) इत्तिला देने वाले को बताया कि अपीलार्थी चार अज्ञात लोगों के साथ घटना स्थल पर आया था और उसने गोली चलाई – घायल (मृतक) को पुलिस जीप में इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ इलाज के दरम्यान घायल की मृत्यु हो गई – अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि मृत्यु कारित करने के लिए अपीलार्थी के पास क्या मकसद था – अन्वेषक एजेंसी न ही बरामद / पता लगा पाई जिस हथियार/पिस्तौल से गोली चली थी और न ही खाली कारतुस जो घटना स्थल से बरामद हुई थी और गोली जो कि मृतक के शरीर से निकाली गई थी आवश्यक विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला (एफ.एस.एल) को नहीं भेजी गई – अभियोजन अपीलार्थी के खिलाफ मामले को युक्तियुक्त के परे साबित करने में विफल रहा – दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश को अपास्त और अभिखंडित किया जाता है –

अपीलार्थी को विद्त विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है – अपील अनुज्ञात हुआ.

(पारा 30,40 से 42)

पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्देश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्त मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 23-04-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'दं.प्र.सं.' के रूप में संदर्भित) की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 562/2015 (मुजफ्फरपुर नगर थाना मामला संख्या 169/2015 से उत्पन्न) में दिनांक 30.08.2017 को दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 07.09.2017 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता/दोषी को भा.दं.सं. की धारा-302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और भा.दं.सं. की धारा-302 के तहत आजीवन कारावास और 25,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना न चुकाने पर दो महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास, शस्त्र अधिनियम की धारा-27 के तहत मामला दर्ज कर एक माह के कारावास तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह के कारावास तथा सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

2. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर को सुना गया, जिनकी सहायता श्रीमती वैष्णवी सिंह, श्री रित्विक ठाकुर एवं श्रीमती किरण कुमारी ने की तथा प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान एपी पी कु. शशि बाला वर्मा को सुना गया।

3. वर्तमान अपील दाखिल करने से संबंधित संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:

"दिनांक 06.03.2015 को लगभग 02:00 बजे अपराह्न सूचक का पुत्र उज्ज्वल भारद्वाज, उम्र लगभग 22 वर्ष, घर के सामने चौक पर जा रहा था। जब वह गौशाला के पास मुख्य सड़क पर दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो अभियुक्त प्रकाश कुमार, पुत्र स्वर्गीय भरत साह, 4 अज्ञात व्यक्तियों के साथ आया तथा उसके पुत्र पर गोली चला दी और भाग गया। सूचक का पुत्र वहीं गिर गया। सूचक को उक्त घटना की जानकारी उसके पड़ोसियों ने दी। जब सूचक और उसके परिवार के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे तो सूचक के पुत्र उज्ज्वल भारद्वाज ने उन्हें बताया कि प्रकाश कुमार, पुत्र स्वर्गीय भरत साह 4 अज्ञात व्यक्तियों के साथ आया था। प्रकाश कुमार ने ही उस पर गोली चलाई और सभी अभियुक्त भाग गए। सूचक ने अपने घायल पुत्र को नगर थाना की गश्ती मोबाइल वैन से एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर ले गए और वहां से बेहतर इलाज के लिए मां जानकी अस्पताल, बैरिया, मुजफ्फरपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।"

4. प्राथमिकी दाखिल करने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए

और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 562/2015 के रूप में दर्ज किया गया था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर, शुरुआत में, प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि प्राथमिकी 06.03.2015 पर दर्ज किया गया था, संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत को उक्त प्राथमिकी की प्रति केवल 08.03.2015 पर प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, प्राथमिकी भेजने में देरी होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारी ने उक्त पहलू को स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि केस डायरी में देर से प्राथमिकी भेजने के लिए कोई स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान अपीलार्थी को प्राथमिकी में गलत तरीके से फंसाया गया है। इस स्तर पर, विद्वान वकील यह प्रस्तुत करते है कि विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और सूचना देने वाले, जो मृतक का पिता है, ने पड़ोसियों और इलाके के निवासियों से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना *फरदबेयान* दिया है। हालाँकि, पड़ोसियों जैसे स्वतंत्र गवाहों से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष भी अपीलार्थी की ओर से मृतक को मारने के उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि घटना के समय और स्थान को भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमुख ठोस साक्ष्य द्वारा विधिवत साबित नहीं किया जाता है और दोनों के अलग-अलग संस्करण हैं, यानी घटना के स्थान और घटना के समय के संबंध में यह प्रस्तुत

किया जाता है कि थानाध्यक्ष , पी.डब्लू. 6 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान कहा है कि जब वह अस्पताल से लौटे तो उन्होंने इमारत की छत पर खून के धब्बे पाए और उन्होंने 1 फीट में रक्त के धब्बे भी देखे थे। हालांकि, जांच अधिकारी, पी.डब्लू. 10 ने विशेष रूप से प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है कि उन्हें घटना स्थल पर कोई खून का धब्बा नहीं मिला है।

6. विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। अभिलेख से विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि कुछ गवाहों ने कहा है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो घायल उज्ज्वल होश में था और उसने दो आरोपियों के नाम बताए थे, जबकि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कहा है कि घायल उज्ज्वल बेहोश था। इस स्तर पर विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि, बेशक, थानाध्यक्ष द्वारा लिखी गई चिट उन्होंने घटना के अगले दिन लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि घायल उज्ज्वल ने खुद घटना के बारे में बताया था और आरोपियों के नाम बताए थे। हालांकि, 06.03.2015 को 17:45 बजे मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर में सूचक द्वारा दिए गए *फर्दबयान* में इसका कोई संदर्भ नहीं है। इस प्रकार, उपरोक्त चिट वर्तमान अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के उद्देश्य से सूचनाकर्ता और संबंधित पुलिस अधिकारी की ओर से बाद में की गई एक सोची-समझी साजिश के अलावा और कुछ नहीं है।

7. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि मृतक के शव से बरामद की गई गोली को बैलिस्टिक विशेषज्ञ को आवश्यक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था। यह

बताया गया है कि घटना स्थल से खाली कारतुस मिला था। हालांकि, उसे भी आवश्यक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था। यहां तक कि वह हथियार जिसका उपयोग कथित अपराध करने के लिए किया गया था, की भी बरामदगी या पता नहीं चल पाया है।

8. विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर आगे प्रस्तुत करते हैं कि जाँच रिपोर्ट में मृतक के घाव को पट्टी से ढकने के संबंध में एक संदर्भ है। हालांकि, जांच अधिकारी ने अपनी जिरह में विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने उस डॉक्टर का बयान दर्ज नहीं किया है जिसने मृतक का इलाज किया था और न ही उनके द्वारा मेडिकल कागजात एकत्र किए गए थे। यह भी तर्क दिया जाता है कि थानाध्यक्ष , पी.डब्लू. 6 ने कहा है कि सूचना देने वाले का बयान अहियापुर पुलिस द्वारा एस.के.एम.सी.एच., मुज़फ़्फ़रपुर में दर्ज किया गया था। हालाँकि, सूचना देने वाले का *फ़र्दबेयान* माँ जानकी अस्पताल, बैरिया, जिला मुज़फ़्फ़रपुर में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, सूचना देने वाले का बयान दर्ज करने के संबंध में विसंगति है। विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि हालांकि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि घायल उज्जवल ने अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के सामने अपनी मौखिक मृत्युपूर्व बयान दिया था और दो अभियुक्तों के नामों का खुलासा किया, लेकिन धारा-313 भा.दं.सं. के तहत अपना बयान दर्ज करते समय उक्त पहलू को अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया और इस तरह अभियुक्त/अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है।

9. अंत में, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बचाव पक्ष ने 5 बचाव पक्ष के गवाहों से भी पूछताछ की है, जिसमें स्वतंत्र गवाह पिंकू पानवाला (डी.डब्लू. 1) भी

शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने आवाज सुनी और घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उज्जवल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और उज्जवल कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वह बेहोश था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य अभियोजन-गवाहों ने यह भी कहा है कि प्रकाश नाम के तीन-चार लड़के उसी इलाके में रहते हैं और अपीलकर्ता प्रकाश उक्त गाँव में मौजूद नहीं था क्योंकि वह अपने मामा के घर गया था। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि इस तथ्य के बावजूद कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय पारित किया है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि इसे रद्द कर दिया जाए और वर्तमान अपील को स्वीकार कर लिया जाए।

10. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक कु. शशि बाला वर्मा ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। वह प्रस्तुत करती है कि मृतक ने स्वयं सूचना देने वाले और अन्य अभियोजन-गवाहों को अपीलकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों के नाम दिए हैं और इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जब मृतक ने स्वयं गवाहों को अपीलार्थी का नाम दिया है, तो विद्वत विचारण न्यायालय के पास मृतक द्वारा दी गई उक्त मौखिक मृत्यु घोषणा पर सही ढंग से भरोसा किया। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि गवाहों के बयानों में कुछ मामूली विरोधाभास हैं, इसका लाभ अभियुक्त, यहाँ अपीलार्थी को नहीं

दिया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और इसलिए, विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। अतः विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील पर विचार नहीं किया जाए।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

12. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष के साथ-साथ विचारण न्यायालय के समक्ष बचाव पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य के प्रासंगिक उद्धरण की सराहना करना चाहेंगे।

13. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष ने 5 गवाहों से भी पूछताछ की है।

14. पी.डब्लू.-1 गिरिजा देवी मृतक की माँ हैं। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 06.03.2015 पर हुई थी। दोपहर लगभग 02:00 बजे बेलू चौधरी उनके घर आए और उनके बेटे उज्जवल भारद्वाज से अपने साथ बाहर जाने का अनुरोध किया, जबकि प्रकाश कुमार बाहर खड़े थे। अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उनका बेटा उनके साथ चला गया। डेढ़ घंटे बाद शोरगुल सुनकर जब वह बाहर गई तो उसने

प्रकाश कुमार को रिवॉल्वर लेकर भागते देखा और बेलू चौधरी अपने बेटे को हाथ से मार रहा था और कह रहा था कि वह अभी तक मरा नहीं है। जब वह और करीब गई तो बेलू चौधरी वहाँ से चला गया। उसी समय पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँच गई। उनका बेटा उस समय होश में था। जब उसे वैन में बिठाया जा रहा था, तो वह कह रहा था कि बेलू और प्रकाश ने उस पर गोली चलाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध में तीन अज्ञात लड़के भी शामिल थे। उसने आगे कहा है कि उसके बेटे को पुलिस वैन में चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया था और उसका पति भी जीप में गया था। वह डेढ़ घंटे के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंची। उसने अपने बेटे की हालत खराब होने का आकलन किया और उसे वहाँ से छुट्टी दिलाकर मां जानकी अस्पताल ले गई, जहाँ इलाज के दौरान आधे घंटे के बाद उसने दम तोड़ दिया। वह कठघरे में मौजूद आरोपी प्रकाश कुमार की पहचान करने का दावा करती है।

14. 1. उसने अपनी जिरह में कहा है कि घटना स्थल पर पहुंचने से पहले कई लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें से वह पिंकू पानवाला और पप्पु धोबी को जानती है । वह अन्य व्यक्तियों के नाम नहीं जानती है। उसने कहा है कि उन लोगों ने उसके बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की। वह किसी से बात नहीं करती थी। उसने लगभग 2:00 बजे अपराह्न में हंगामा सुना था। उस समय वह अपने पति और बेटी के साथ अपने घर में थी। वह सबसे पहले घर से निकली, उसके बाद उसका पति निकला। उन्होंने यह भी कहा है कि जब उनका बेटा घर से बाहर निकला तो प्रकाश कुमार गली में खड़े थे, जो

एक व्यस्त गली है। वह लगभग एक घंटे तक घटना स्थल पर रही, इस दौरान उसने किसी से बात नहीं की।

15. पी.डब्लू.-2 संतोष कुमार ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।

16. पी.डब्लू.-3 राज नारायण झा हैं जिन्होंने कहा है कि यह घटना दिनांक 06.03.2015 को लगभग 02:00 बजे अपराह्न में हुई थी। दोपहर में हंगामा सुनकर वह और अन्य लोग बाहर आए और उन्हें पता चला कि गोलीबारी की गई है। घटना स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने एक लड़के को गोली लगने से घायल देखा, जिसकी पहचान उन्होंने उज्जवल भारद्वाज के रूप में की। उज्जवल भारद्वाज कह रहे थे कि प्रकाशवा और बेलुआ ने उन पर गोली चलाई थी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई। इसके बाद वह अस्पताल भी गए थे। उज्जवल ने प्रकाश और बेलू का नाम भी पुलिस के सामने आरोपी के रूप में लिया था। उस पर गोली चला दी थी। उज्ज्वल भारद्वाज की उसी दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घायल उज्ज्वल भारद्वाज को आरोपी बेलू चौधरी के घर के पास से गोली मारी गई थी।

16. 1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसकी सुनील शर्मा के साथ पिछले दस वर्षों से दोस्ती है। सुनील शर्मा मृतक उज्ज्वल भारद्वाज के चाचा हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वह घटना के दो-तीन मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे। उस समय तक 10-12 लोग वहाँ जमा हो गए थे जिनके नाम वह नहीं जानते थे। उन्होंने कहा है कि जिस क्षण वे घटना स्थल पर पहुंचे, उज्ज्वल भारद्वाज जमीन पर बेहोश पड़े थे और

उनके शरीर से खून बह रहा था। घटना के 10 मिनट के भीतर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और उसे अस्पताल ले गई थी। गवाह ने किसी से बात नहीं की। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी ने भी उज्ज्वल भारद्वाज के बयान को लिखने की परवाह नहीं की। उन्होंने सुनील शर्मा का दोस्त होने के नाते झूठी गवाही देने से इनकार किया है।

17. पी.डब्लू.-4 सुनील शर्मा, उज्ज्वल भारद्वाज के चाचा हैं। उन्होंने कहा कि होली त्योहार का दिन था। वह अपने आवास पर थे। हो हल्ला पर वह बाहर आया तो पता चला कि किसी लड़के को गोली मार दी गई है। वह घटना स्थल पर पहुंचे और देखा कि यह उज्जवल भारद्वाज थे जिन्हें गोली मारी गई थी। जब वह वहां पहुंचे तो कई लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि उज्जवल भारद्वाज दर्द से कराह रहे थे और कह रहे थे कि प्रकाश और बेलू ने उन पर गोली चलाई थी। पुलिस के सामने भी जीप में चढ़ाते समय उसने बताया कि प्रकाश और बेलू ने उस पर गोली चलाई थी। पुलिस उसे अस्पताल ले गई। गवाह भी अस्पताल गया। बेलू चौधरी के घर पर पुलिस ने छापा मारा था जिसमें गेट के पास से शराब की बोतलें, ग्लास, स्नैक्स और एक खाली कारतुस भी बरामद किया गया था जिसे जब्त कर लिया गया था और जब्ती सूची तैयार की गई थी जिस पर उनके हस्ताक्षर थे।

17.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि वह लगभग 02:00 बजे अपराह्न घटना स्थल पर गए थे। उन्हें वहाँ पहुँचने में पाँच मिनट लगे। उस समय तक कई दुकानदार और स्थानीय निवासी वहां मौजूद थे। उज्जवल के बयान को लिखने या दर्ज करने की किसी ने परवाह नहीं की। जहां उज्जवल पड़ा था, वहां थोड़ा खून बह गया

था, लेकिन वह बिखरा नहीं था। उज्जवल अपने पिता और माता को बुला रहा था। उन्होंने आगे कहा है कि वह उज्जवल के दोस्तों के नाम नहीं जानते हैं। उसने कहा है कि उसके वहाँ पहुँचने के पाँच मिनट बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई थी। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा, तो उज्जवल दर्द से कराह रहा था और कह रहा था कि वह अपने पैरों का उपयोग नहीं कर सकता और अपने पिता और माँ को बार-बार पुकार नहीं सकता है। किसी ने उसे खड़ा करने की कोशिश नहीं की।

18. पी.डब्लू.-5 दीपक कुमार शर्मा उज्जवल भारद्वाज के पिता हैं। वह और उनके परिवार के सदस्य उनके आवास पर थे। लगभग 01:00 बजे अपराह्न प्रकाश और बेलू उनके घर आए और उनका बेटा उनके साथ बेलू चौधरी के घर गया जो उनके घर से 100 मीटर दक्षिण में स्थित है। लगभग 02:00 बजे अपराह्न में उन्होंने गोलीबारी और हंगामे की आवाज सुनी। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि प्रकाश रिवॉल्वर के साथ आर. टी. आर. मोटरसाइकिल पर भाग रहा था। गवाह घटना स्थल पर पहुंचा और कुछ दूरी से देखा कि बेलू ने अपने बेटे को लात मारी और गाली देते हुए भाग गया। जब वह अपने बेटे के पास गया तो वह दर्द से कराह रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी और वह जमीन पर पड़ा हुआ था। वह कह रहा था कि प्रकाश ने उस पर गोली चलाई थी और बेलू ने भी उस पर हमला किया था। कुछ ही देर में उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए थे। नगर थाना की पुलिस वहाँ पहुंची और पुलिस जीप में उज्जवल को अस्पताल ले गई। वह भी जीप में सवार हुआ था। वे घायलों को मेडिकल कॉलेज ले गए और रेफर किए जाने पर मां जानकी अस्पताल,

बैरिया ले गए। पारगमन के दौरान, उज्जवल ने खुलासा किया कि प्रकाश, बेलू और तीन अन्य अज्ञात लड़कों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। नगर थाना के थानाध्यक्ष ने इसे एक सादे कागज पर लिखा जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर किए। गवाह ने न्यायालय को उक्त कागज प्रस्तुत किया।

18.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि दारोगा जी ने मां जानकी अस्पताल में अपना बयान दर्ज कराया है और बयान को पढ़ने के बाद उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। वे जो दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रहे थे, उसे दारोगा जी ने 07.03.2015 को डी. एस. पी. की उपस्थिति में उन्हें सौंप दिया था। उन्होंने दारोगा जी द्वारा लिखे गए अपने बेटे के बयान की फोटो प्रति जांच अधिकारी को दी थी, लेकिन उन्होंने इसकी कोई प्राप्ति रसीद नहीं दी। उन्होंने आगे कहा है कि घटना स्थल पर पहुंचने से पहले, इलाके के लगभग 10 लोग वहां जमा हो गए थे, लेकिन वह उनके नाम नहीं बता सकते। पिंकू पहुँचने के बाद, द्वारकाजी और कई अन्य लोग पहुँच गए, लेकिन वे उनका नाम नहीं बता सके। लगभग 10 मिनट बाद पुलिस आई। उसने पुलिस को उस जगह पर आरोपी के बारे में नहीं बताया, बल्कि लगभग 03:15-03:30 बजे जीप में बताया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने घटना स्थल पर किसी से पूछताछ की थी या नहीं। पुलिस लगभग पाँच मिनट तक घटना स्थल पर रही। स्थानीय लोगों घटना की जानकारी पुलिस को दे रहे थे। उसने कहा है कि उसने पुलिस के सामने यह भी कहा था कि जब वह बाहर आया तो उसने प्रकाश को एक रिवॉल्वर लेकर भागते देखा और बेलू को अपने बेटे को लात मारते हुए भी देखा। उन्होंने यह भी देखा कि उनका

बेटा दर्द से कराह रहा था और कह रहा था कि प्रकाश ने उन पर गोली चलाई थी और बेलू ने भी उन पर हमला किया था। गवाह कहता है कि वह यह नहीं बता सकता कि प्रकाश नाम के कितने लड़के इलाके में रहते हैं। उनके बेटे की प्रकाश और बेलू के साथ दोस्ती थी। वह यह नहीं बता सकता कि उसके दुश्मन कौन थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने कोई घटना नहीं देखी थी और न ही उन्होंने उज्जवल को कुछ कहते हुए सुना था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनका बेटा अपनी चोटों के कारण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था और उन्होंने पैसे निकालने के लिए आरोपी को झूठा फंसाया है।

19. पी.डब्लू.-6 थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह हैं। उन्होंने कहा है कि यह घटना 06.03.2015 की है। होली का त्यौहार था। वह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर तैनात थे। 03:00 बजे दोपहर में उन्हें सूचना मिली कि न्यू बाजार में यदुपती गली में गोलीबारी चल रही है और कोई घायल हो गया है। ऐसी सूचना पर जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़के को गोली लगी है और लोग वहां जमा हो गए हैं। वह अपने कर्मियों, घायलों के पिता और कुछ स्थानीय लोगों के साथ जीप में घायलों को सदर अस्पताल ले गए और उन्हें एस.के.एम.सी.एच. रेफर किया गया। एस.के.एम.सी.एच. में इलाज किया गया। उसे वहाँ भर्ती कराने के बाद, वह फिर से घटना स्थल पर लौट आया। जीप में उज्ज्वल शर्मा अर्ध-बेहोशी की हालत में था और दोहरा रहा था कि प्रकाश ने उस पर गोली चलाई थी और बेलू भी उसका साथी था। उन्होंने कहा है कि सूचना देने वाले द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ उनकी कलम

और हस्ताक्षर में था जो उन्होंने सूचना देने वाला के घर पर घटना के अगले दिन लिखा था। उन्होंने वहीं लिखा था जैसा कि उज्जवल शर्मा ने रास्ते में कहा था। वह उसी की पहचान करता है और उसी को प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया जाता है।

19.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 08.03.2015 को अदालत में औपचारिक प्राथमिकी भेजी थी। उन्होंने 24 घंटे की देरी के बाद औपचारिक प्राथमिकी भेजने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने प्राप्त जानकारी पर कोई *सनहा* दर्ज नहीं किया और वे लगभग 3:00 बजे अपराह्न घटना स्थल पर पहुंचे। हालाँकि 40-50 लोग उनके पहुँचने से पहले घटना स्थल पर जमा हो गए थे, लेकिन किसी ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से नहीं बताया। वह यह भी स्वीकार करता है कि हालांकि घायल के पिता वहाँ मौजूद थे, लेकिन वह अपना *फरदबेयान* नहीं ले सके क्योंकि उन्होंने इस बहाने से कोई बयान देने से इनकार कर दिया कि उनके बेटे की हालत बिगड़ रही है। यहां तक कि जब वह एस. के. एम. सी. एच. से लौटे, तब भी उन्होंने कोई प्राथमिकी या सनहा दर्ज नहीं किया। हालांकि, अहियापुर थाना के पुलिस कर्मियों ने मृतक के पिता का बयान दर्ज किया। बयान दर्ज कराने के समय वह वहां नहीं थे। गोलीबारी में प्रकाश की संलिप्तता के बारे में कोई लिखित आवेदन नहीं है और न ही उसने प्राथमिकी दर्ज करने से पहले किसी का बयान लिया था। उन्होंने मृतक का बयान दर्ज नहीं कराया था। उन्होंने न तो जीप में किसी को यह लिखने के लिए कहा था। मोबाइल पर बयान दर्ज नहीं किया गया था। घटना के अगले दिन, स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे अनुरोध पर, उन्होंने उज्जवल शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लिख

लिया और डीएसपी की उपस्थिति में सूचना देने वाले को सौंप दिया। उस समय मामले के जांच अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने सूचना देने वाले को सौंपे गए दस्तावेज़ पर स्थान और समय का उल्लेख नहीं किया था। 1 फीट के दायरे में खून फैला हुआ था। वह घर की छत पर नहीं गया था। जब वह अस्पताल से लौटे तो छत पर गए और वहां भी खून देखा। वह लगभग 05:15 बजे शाम दूसरी बार घटना स्थल पर गया था। हालांकि उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की लेकिन उन्होंने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि वास्तव में उज्जवल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने उनके सामने कुछ नहीं कहा था और मृतक के पिता के साथ मिलकर उन्होंने दस्तावेज़ बनाया था और एक पूर्व-दिनांकित प्राथमिकी तैयार की थी।

20. पी.डब्लू.-7 सुनील कुमार सिंह हैं। उसने सिर्फ इतना कहा है कि वह पुलिस दल के साथ था और जब वह घटना स्थल पर पहुंचा, तो एक लड़का दर्द से कराह रहा था और उसे पुलिस जीप में अस्पताल ले जाया गया। पारगमन के दौरान, लड़का हमलावरों के नाम ले रहा था लेकिन वह नामों को समझ नहीं सका।

20.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि जब वह पहुंचे तो 50-100 लोग घटना स्थल पर जमा हो गए थे। जीप में डालते समय लड़का बेहोशी की हालत में था और दर्द से कराह रहा था और अस्पताल पहुंचने तक वह उसी हालत में रहा।

21. पी.डब्लू.-8 शिव प्रताप सिंह हैं। उसने कहा है कि पिछली होली के दिन वह थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के साथ कानून और व्यवस्था की ड्यूटी पर था।

थानाध्यक्ष के मोबाइल फोन पर कॉल आया कि यदुपति लेन में गोलीबारी की गई है। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का घायल है और कुछ स्थानीय लोग वहाँ जमा हो गए। उन लोगों की मदद से घायलों को पुलिस वैन में अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में, लड़का हमलावरों के नाम प्रकाश और बेलू ले रहा था।

21.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उनके पहुँचन से पहले 10-12 लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हुए थे, जिनमें से कोई भी उनके परिचित नहीं था। घायल को जीप में चढ़ाते समय वह बेहोश हो गया था और अस्पताल पहुंचने तक वह बेहोश ही रहा।

22. पी.डब्लू. 9 डॉ. विजय कुमार प्रसाद हैं जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। उन्हें शरीर में निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण चोटें मिलीं:-

1. एक घाव 3/4 "x 1" x गुहा नाभि के नीचे 2 "से अधिक गहरी है।

2. घाव उलटा था और चारों ओर कालापन था, अर्थात प्रवेश घाव।

3. पेट के विच्छेदन पर गोली पेट के नीचे की मांसपेशी, रक्त वाहिका और बड़ी आंत में घुस गई थी।

4. पेट की गुहा खून से भरी हुई थी और गोली बरामद की गई थी और इसे जब्त कर चौकीदार को सौंप दिया गया था।

रायः उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमे के कारण मृतक की मृत्यु हो गई। आग के कारण हाथ में चोट लगना।

मृत्यु का समय: 2 से 12 घंटे के भीतर।

उन्होंने आगे कहा है कि मृत्यु के लगभग 2 से 3 घंटे बाद कठोरता शुरू हो जाती है। कठोरता, मृत्यु के लगभग 12 से 24 घंटे बाद पूरी होती है।

23. पी.डब्लू. 10 मो. नसीम अहमद जाँच अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि 06.03.2015 को उन्हें पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था, जो मुज़फ़्फ़रपुर नगर थाना में तैनात थे। वह होली का त्योहार था। लगभग 1:30 बजे शाम को सूचना मिली कि न्यू बाजार के यदुपट्टी में किसी को गोली मार दी गई है। इस तरह की सूचना पर, वह थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और पुलिस दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, घायल को पुलिस जीप में सदर अस्पताल ले गए, जहाँ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुज़फ़्फ़रपुर के एस.के.एम.सी.एच. में भेज दिया गया। इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। दीपक कुमार शर्मा के अहियापुर थाना से *फरदबेयान* प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर नगर थाना कांड संख्या 169/2015 दर्ज किया गया था। अहियापुर थाना से प्राप्त *फरदबेयान* को थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह द्वारा पृष्ठांकित किया गया था और गवाह ने उसी पर अपने हस्ताक्षर किए थे। वह मनोज कुमार सिंह कलम और हस्ताक्षर में किए जाने वाले पृष्ठांकन की पहचान करता है। इसे प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने औपचारिक प्राथमिकी पर दो स्थानों पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के हस्ताक्षर की भी पहचान की है। इसे प्रदर्श-6 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि अहियापुर थाना द्वारा जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई थी। जांच का प्रभार संभालने पर वह घटना स्थल पर गए। उन्होंने बनेश्वर किश्कू द्वारा तैयार की गई जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अमरनाथ

चौधरी के बेटे बेलू चौधरी की तीन मंजिला पूर्व की ओर निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण किया, जहाँ से शराब की दो बोतलें, एक गिलास, स्नैक्स सहित कई सामान बरामद किए गए। गेट के बाहर एक खाली कारतुस बरामद किया गया था जिस पर के. एफ. 7.65 उत्कीर्ण था। गवाहों की उपस्थिति में इसे विधिवत जब्त कर लिया गया और एक जब्ती सूची तैयार की गई। स्थानीय गवाहों और मुखबिर ने बताया कि उक्त निर्माणाधीन भवन में प्रकाश कुमार और बेलू चौधरी ने पीड़ित लड़के पर गोली चलाकर उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने फिर से सूचना देने वाले का बयान दर्ज किया है। इसके बाद उन्होंने गवाह सुनील कुमार शर्मा, श्री राज नारायण झा, गिरिजा देवी, संतोष बलरीबल और नूनू मिश्रा के बयान दर्ज किए। उन्होंने थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और अन्य एस. ए. पी. सिपाहियों का बयान भी दर्ज किया। फिर उन्हें मृतक उज्ज्वल कुमार की *पोस्टमॉर्टम* रिपोर्ट मिली।

23.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसे याद नहीं है कि घटना के बारे में पुलिस स्टेशन में कब जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा है कि *फरदबेयान* दर्ज होने से पहले अहियापुर थाना के दारोगा जी द्वारा जब्ती सूची तैयार की गई थी। उन्होंने किसी भी इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज नहीं किया और न ही उन्होंने इलाज के संबंध में कोई दस्तावेज हासिल किया। उन्होंने किसी भी गवाह के बयान दर्ज करने के समय का उल्लेख नहीं किया। जाँच के दौरान, उन्हें थानाध्यक्ष द्वारा कोई लिखित पत्र नहीं मिला। उन्हें घटना स्थल पर कोई खून का धब्बा या दाग नहीं मिला था। उसने

अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद नहीं की। घटना स्थल पर कोई फिंगर प्रिंट प्राप्त नहीं किया गया था। वह यह पता नहीं लगा सके कि सूचना देने वाला पक्ष और बचाव पक्ष शत्रुतापूर्ण शर्तों पर थे या नहीं। उन्होंने उस कपड़े को जब्त नहीं किया जिससे शव ढका हुआ था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि गवाह दीपक कुमार शर्मा ने उनके सामने कहा था कि जब वह बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आरोपी प्रकाश एक आरटीआर मोटरसाइकिल पर रिवॉल्वर लेकर भाग रहा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने एक दोषपूर्ण जांच की थी और उन्होंने खुद गवाहों के नाम पर बयान लिखा था।

24. पी.डब्लू.-11 अखिशलेश्वर शर्मा हैं, उन्होंने कहा है कि 06.03.2015 को उन्हें अहियापुर थाना में एएसआई के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन वे जानकी अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर थे। उन्होंने मृतक उज्जवल भारद्वाज के पिता दीपक कुमार शर्मा के *फरदबेयान* को दर्ज करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने सूचना देने वाले को वही पढ़ा था और वही सही पाते हुए, सूचना देने वाले ने अपने भाई सुनील शर्मा के साथ उसी पर हस्ताक्षर कर दिए। गवाह ने *फरदबेयान* पर अपना हस्ताक्षर भी किया जिसे वह प्रदर्श-7 के रूप में पहचानता है। चूंकि, यह घटना नगर थाना, मुजफ्फरपुर के अधिकार क्षेत्र में हुई थी, इसलिए फरदबेयान को थानाध्यक्ष, नगर थाना, मुजफ्फरपुर को भेज दिया गया था। वह अपनी कलम और हस्ताक्षर में फरदबेयन पर अग्रेषण नोट को प्रदर्श-7/1 के रूप में भी पहचानता है। जमादार आर. के. सिंह के निर्देश पर माँ जानकी अस्पताल में मृतक की जाँच रिपोर्ट तैयार की गई

थी, जिस पर दो स्वतंत्र गवाहों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। उक्त जांच रिपोर्ट कार्बन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई थी। उन्होंने तारीख के साथ जाँच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने प्रदर्श-8 पर इसकी पहचान की है।

24.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि वर्तमान *फरदबेयान* को दर्ज करने से पहले, उन्होंने कई अन्य व्यक्तियों के फरदबेयान को दर्ज किया था। *फरदबेयान* तैयार करने से पहले उन्होंने मृतक के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की थी। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि उन्होंने मुखबिर के साथ मिलीभगत में *फरदबेयान* को दर्ज किया था। उन्होंने यह भी कहा है कि अदालत में उन्होंने जिस जांच रिपोर्ट की पहचान की है, वह कार्बन कॉपी है। मूल प्रति कहाँ है, वह नहीं जानता। रिपोर्ट तैयार करते समय उन्होंने मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान देखे थे। जाँच रिपोर्ट का कंडिका 5 पट्टी से ढकी चोट से संबंधित है और कंडिका 8 बंदूक की गोली से हुई चोट के कारण मृत्यु का वर्णन करता है। उन्होंने पट्टी के नीचे वास्तविक चोट नहीं देखी थी। उन्होंने यह भी कहा है कि जांच अधिकारी ने उनका बयान नहीं लिया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनके द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट झूठी और भ्रामक है।

25. डी.डब्लू.-1, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू पानवाला ने कहा है कि होली के दिन वह अपनी पान की दुकान पर थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर गए। जब वह मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उज्जवल बेहोश पड़ा हुआ था और स्थानीय लोग चारों ओर जमा हो गए थे। किसी ने पुलिस को सूचित किया जिस पर पुलिस आई और उज्जवल को अपने साथ ले गई। वह न्यू बाजार में प्रकाश के

नाम से 2-3 लड़कों को जानता है। जब तक वह उज्जवल के पास मौजूद था, उज्जवल बेहोश था और कुछ नहीं बोल रहा था और घायल अवस्था में पड़ा हुआ था।

25.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्हे अदालत से कोई नोटिस नहीं मिला है। वह प्रकाश के भाई दीपक चौधरी के अनुरोध पर गवाही देने आया था। वह उज्जवल की हत्या के संबंध में दर्ज मामले में गवाही देने आया था। उन्होंने कहा है कि प्रकाश मृतक उज्जवल की कथित रूप से हत्या के आरोप में हिरासत में है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वे दोनों पक्षों की मिलीभगत से गवाही देने आए थे। घटना के दिन वह किसी भी पुलिस अधिकारी से नहीं मिला था। जब वह घटना स्थल पर पहुंचे, तो 30-40 व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया था कि उन्होंने प्रकाश की मदद करने के लिए पदच्युत किया था।

26. डी.डब्लू.-2, विरेंद्र कुमार ने कहा है कि 06.03.2015 को वह अपने घर पर था। दोपहर में उसने शोरगुल सुना। वह घटनास्थल पर गया जो बेलू चौधरी के घर के पास है। वहां मंदिर के पास एक लड़का घायल और बेहोश पड़ा था। वहां पिंटू पानवाला और पप्पू धोबी भी मौजूद थे। इसके बाद पुलिस आ गई। वह घर वापस आ गया। उसने यह भी बताया था कि मोहल्ले में प्रकाश नाम के 3-4 लड़के हैं। उसने उस दिन हिरासत में लिए गए प्रकाश को उज्ज्वल के साथ नहीं देखा था।

26.1. जिरह में उसने कहा है कि उसे न्यायालय से कोई नोटिस नहीं मिला था। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। वह प्रकाश के भाई के बुलावे पर गवाही देने आया था । उसने सुना कि गोली लगने से उज्ज्वल की मौत हो गई है। जिस

लड़के को गोली लगी थी, वह घटनास्थल पर पड़ा था। उसने इस बात से इनकार किया कि वह अपने भाई के कहने पर प्रकाश को बचाने के लिए गवाही देने आया था।

27. डीडब्लू-3, अनिल चौधरी ने बताया कि अभियुक्त प्रकाश उसका चचेरा भतीजा *(भगिना)* है। प्रकाश 02.03.2015 को अपने मामा के घर गया था। साक्षी ने उससे मुलाकात की थी। 03.03.2015 को अचानक दस्त होने के कारण प्रकाश बीमार पड़ गया। उसे डॉ. हरिशंकर चौधरी के क्लीनिक ले जाया गया। साक्षी भी उसके साथ गई थी। 08.03.2015 को उसे छुट्टी दे दी गई।

27.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसे गवाही देने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला था। पुलिस ने उसे दर्ज नहीं किया। वह 302 के एक मामले में गवाही देने आया था जिसमें प्रकाश आरोपी है। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने झूठी गवाही दी थी। उसने इस बात से इनकार किया है कि घटना के दिन प्रकाश मुजफ्फरपुर में था और उसने उज्ज्वल पर गोली चलाई थी जिससे उसकी मौत हो गई। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि प्रकाश का रिश्तेदार होने के नाते उसने झूठी गवाही दी थी।

28. डी.डब्लू.-4 पवन चौधरी है। उसने बताया है कि प्रकाश उसकी बहन का बेटा है। 02.03.2015 को वह उसके घर आया था। इसके अलावा उसने डी.डब्लू.-3 के कथन को ही दोहराया है।

29. डी.डब्लू.-5 डॉ. हरिशंकर चौधरी हैं। उन्होंने कहा है कि वे पंजाब नेशनल बैंक, सोनपुर के पास स्थित संजीवनी चिकित्सालय के मालिक हैं। मरीजों को आपात स्थिति में भर्ती किया जाता है। 03.03.2015 को प्रकाश को वहां भर्ती कराया गया था।

उसे दस्त हो रहे थे। वह दो दिनों के लिए भर्ती रहा। 04.03.2015 को उसे छुट्टी दे दी गई। वह 08.03.2015 को फिर से अपने क्लिनिक में आया था। उसने हस्ताक्षर से लिखे पर्चे को अपनी कलम से पहचाना है। उसने न्यायालय में उपस्थित मरीज की भी पहचान की है। पर्चे पर एक्सटेंशन-ए अंकित है।

29.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि संजीवनी चिकित्सालय किराए के मकान में चलता है। इसमें तीन कमरे हैं। मालिक का नाम विजय सिंह है। वह किराया पर्ची दिखाने में असमर्थता जताता है। उसने वर्तमान घटना के बारे में कोई और जानकारी होने से इनकार किया है। वह नहीं जानता कि प्रकाश ने किसकी हत्या की है और प्रकाश जेल में है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने प्रकाश कुमार का इलाज नहीं किया था और आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए गलत दवा का पर्चा दिया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने गलत बयान दिया है क्योंकि वे प्रकाश कुमार को पहले से जानते थे।

30. साक्ष्य से यह उभर कर आता है कि के तहत सूचक का *फर्दबयान* 06.03.2015 को लगभग 17:45 बजे माँ जानकी अस्पताल, बैरिया, जिला- मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया। *फर्दबयान* से पता चलता है कि सूचक घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और उसे अपने पड़ोसियों से यह सूचना मिली। अपने पुत्र पर हमले के संबंध में सूचना मिलने के बाद सूचक अपने परिवार के सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कहा गया है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके पुत्र उज्ज्वल ने उन्हें बताया कि प्रकाश भारद्वाज चार अज्ञात व्यक्तियों के साथ घटनास्थल पर आया और उसने गोली चलाई। फर्दबयान से यह भी पता चला है कि इसके बाद पुलिस जीप

घटनास्थल पर आई और घायल को उक्त जीप में एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर ले जाया गया और वहां से आगे के इलाज के लिए मां जानकी अस्पताल, बैरिया, जिला-मुजफ्फरपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और इलाज के दौरान उसके बेटे की मृत्यु हो गई।

31. यह नोट करना प्रासंगिक है कि उक्त सूचना 06.03.2015 को दी गई थी, जिसे औपचारिक प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत किया गया था। हालांकि, रिकॉर्ड से यह पता चला है कि संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट को प्राथमिकी की प्रति 08.03.2015 को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट को प्राथमिकी भेजने में देरी हुई है और यह बचाव पक्ष का विशिष्ट मामला है कि प्राथमिकी पिछली तारीख की है, जिसमें उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि हालांकि सूचक ने *फर्दबयान* में बेलू चौधरी का नाम नहीं दिया है, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने अदालत के समक्ष बयान दिया है कि घायल उज्ज्वल ने प्रकाश कुमार (अपीलकर्ता) और बेलू चौधरी का नाम दिया। मृतक की माँ पी.डब्लू. 1 ने पहली बार अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष कहा है कि शोरगुल सुनने के बाद जब वह अपने घर से बाहर आई तो उसने देखा कि प्रकाश कुमार (अपीलकर्ता) रिवॉल्वर लेकर भाग गया और बेलू चौधरी नामक व्यक्ति उज्जवल पर मुक्का मार रहा था और उसके बाद बेलू चौधरी भी उस स्थान से भाग गया। यह ध्यान देने योग्य है कि मुखबिर ने घटना के कुछ घंटों बाद दर्ज किए गए *फर्दबयान* में उपरोक्त पहलू के बारे में नहीं बताया है।

32. इससे यह भी पता चलता है कि अभियोक्ता 2 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अभियोक्ता 3 और अभियोक्ता 4 सूचक और मृतक के निकट संबंधी हैं। अभियोक्ता 3, जो मृतक के चाचा का मित्र है, ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने उज्ज्वल को जमीन पर पड़ा पाया और वह बेहोश था। जमीन पर खून भी फैला हुआ था और 10 मिनट के भीतर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। अभियोक्ता 4 मृतक का चाचा और सूचक का भाई है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उज्ज्वल दर्द से कराह रहा था और कह रहा था कि प्रकाश और बेलू ने उसे गोली मारी है। उज्ज्वल ने हमलावरों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। उक्त गवाह ने जिरह के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया है कि जब उज्ज्वल ने घटना के बारे में बताया था, तो किसी ने भी उसे लिखने या आवाज रिकॉर्ड करने की जहमत नहीं उठाई।

33. सूचक, पी.डब्लू. 5 द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि उक्त गवाह ने अपने बयान में सुधार किया है और पहली बार अदालत के समक्ष उसने कहा है कि जब उज्ज्वल को जीप से अस्पताल ले जाया गया था, तब उसने प्रकाश कुमार, बेलू चौधरी और तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों का नाम बताया था और मुजफ्फर नगर थाना के थानाध्यक्ष ने सादे कागज पर यही लिखा था और उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। उक्त लिखावट को उक्त गवाह द्वारा पहली बार अदालत के समक्ष पेश किया गया था। जिरह के दौरान उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि अगले दिन दारोगा जी ने डी.एस.पी. की उपस्थिति में उक्त कागज सूचक को सौंप दिया था। उसने आगे स्वीकार

किया है कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसने हमलावरों के नाम नहीं बताए थे और रास्ते में जीप में उसने हमलावरों का नाम बताया।

34. पी.डब्लू. 6, जो मुजफ्फरपुर नगर थाना का थानाध्यक्ष है, जिसने घायल उज्ज्वल को अपनी जीप में अस्पताल पहुंचाया था, ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि उसने 08.03.2015 को औपचारिक प्राथमिकी कोर्ट को भेजी थी और उसने 24 घंटे बाद प्राथमिकी भेजने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उसने यह भी कहा है कि अहियापुर थाना के कर्मियों ने एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर में मृतक के पिता का बयान दर्ज किया था। उक्त गवाह ने जिरह में आगे कहा कि घटनास्थल पर 1 फीट के दायरे में खून पाया गया था और जब वह अस्पताल से लौटा और घटनास्थल की जांच की, तो उसने छत पर भी खून पाया। उक्त गवाह ने यह भी कहा है कि उज्ज्वल अर्ध-चेतन अवस्था में था।

35. पी.डब्लू. 7 तथा पी.डब्लू. 8, जो स्वयं भी पुलिस अधिकारी हैं तथा जो थानाध्यक्ष, पी.डब्लू. 6 के साथ जीप में यात्रा कर घटनास्थल पर पहुंचे थे, ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि जब घायल को जीप में डाला गया तो वह अचेत था तथा अस्पताल पहुंचने तक वह अचेत अवस्था में रहा।

36. जांच अधिकारी पीडब्लू 10 ने कहा है कि जब वह घटनास्थल पर गया था, तो उसने कुछ सामान जब्त किया था, जिसमें एक खाली कारतूस भी शामिल था, जिस पर के. एफ. 7.65 लिखा था। उक्त गवाह ने जिरह के दौरान कहा है कि उसने मृतक का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज नहीं किया था और न ही उसने दिए गए इलाज के संबंध में मेडिकल कागजात एकत्र किए थे। उसे घटनास्थल पर खून का

कोई धब्बा नहीं मिला। उसने मृतक का कपड़ा जब्त नहीं किया। उसने विशेष रूप से कहा है कि जांच के दौरान यह पता नहीं चला कि आरोपी की आरोपी से कोई दुश्मनी थी या नहीं।

37. पी.डब्लू. 11 ने जिरह में कहा है कि जांच रिपोर्ट तैयार करते समय उसे गोली के निशान मिले थे तथा जांच रिपोर्ट के कंडिका-5 में घाव को पट्टी से ढके होने का उल्लेख है।

38. डी.डब्लू. 1, जो एक स्वतंत्र गवाह है, घटनास्थल पर पहुंचा है और उसने अपने बयान में कहा है कि उज्ज्वल बेहोश था। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि पी.डब्लू. 1, जो मृतक की माँ है, ने अपने बयान के कंडिका-5 में इस गवाह, यानी पिंकू पानवाला का नाम लिया है, जिसमें उसने कहा है कि पिंकू पानवाला पप्पू धोबी भी घटनास्थल पर पहुंचा था।

39. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों के उपरोक्त बयान से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास और सुधार हैं। पुलिस अधिकारियों और बचाव पक्ष के गवाहों जैसे स्वतंत्र गवाहों ने कहा है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो घायल बेहोश था। इस प्रकार, सूचक या अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के सामने घायल उज्ज्वल द्वारा दिए गए मौखिक मृत्युपूर्व बयान के संबंध में एक *वास्तविक* संदेह पैदा होता है। घटना के समय और साथ ही घटना के स्थान के संबंध में दो संस्करण हैं। जांच अधिकारी ने यह भी कहा है कि घटना एक निर्माणाधीन संपत्ति में हुई थी और थानाध्यक्ष, पी.डब्लू. 6 को भी निर्माणाधीन इमारत की छत पर खून मिला था। हालांकि, सूचक और मृतक के अन्य

रिश्तेदारों के मामले के अनुसार, घटना गली में हुई थी। पी.डब्लू. 6 ने कहा है कि घटनास्थल पर एक फुट के दायरे में खून देखा गया था। हालांकि, जांच अधिकारी पी.डब्लू. 10 को उक्त स्थान पर कोई खून नहीं मिला। यह भी ध्यान देने योग्य है कि थानाध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अगले दिन यानि 07.03.2015 को कागज पर घटना के तरीके के बारे में लिखा था, जैसा कि घायल ने उन्हें बताया था, जबकि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कहा है कि यह थानाध्यक्ष द्वारा जीप में लिखा गया था और अभियोजन पक्ष के एक गवाह के अनुसार कहा है कि किसी ने भी घायल उज्ज्वल का बयान कागज पर नहीं लिखा था और न ही आवाज रिकॉर्ड की गई थी। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि घायल उज्ज्वल द्वारा गवाहों के समक्ष दिए गए तथाकथित मौखिक मृत्युपूर्व बयान के इस पहलू को भी अपीलकर्ता अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया था, जब उसका बयान धारा-313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया था और बचाव पक्ष द्वारा यह विशेष तर्क दिया गया है कि इसी कारण से अभियुक्त अपीलकर्ता को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है।

40. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और इसलिए, अपीलकर्ता अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करने का उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, अभियोजन पक्ष मृतक की हत्या करने के लिए अपीलकर्ता की ओर से उद्देश्य साबित करने में विफल रहा है। यहां तक कि जिस हथियार/पिस्तौल से कथित गोलीबारी हुई थी, उसे भी जांच एजेंसी द्वारा बरामद/खोजा नहीं गया। इसके अलावा, मृतक के शव से बरामद खाली कारतूस और गोली भी आवश्यक विश्लेषण के लिए एफ.एस.एल. को नहीं भेजी गई।

41. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित फैसला दर्ज किया है। ऐसे में, इसे रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है।

42. तदनुसार, सत्र परीक्षण संख्या 562/2015 (मुजफ्फरपुर नगर थाना केस संख्या 169/2015 से उत्पन्न) के संबंध में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दिनांक 30.08.2017 के दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और दिनांक 07.09.2017 के सजा के आदेश को रद्द किया जाता है और उसे दरकिनार किया जाता है। अपीलकर्ता, अर्थात् प्रकाश कुमार को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

43. चूंकि अपीलकर्ता जेल में है, इसलिए उसे तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

44. अपील स्वीकृत की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

के.सी.झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।